प्रेस विज्ञप्ति
31.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने विभिन्न घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसबीपीएल) के प्रमोटर सिद्धार्थ चौहान, उनकी कंपनियों और अन्य व्यक्तियों की 94.82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित जमीन के टुकड़े, आवासीय घर और व्यावसायिक भवन शामिल हैं।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईओडब्ल्यू द्वारा प्रोजेक्ट एस्टेला और एनसीआर वन, गुरुग्राम के विभिन्न घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर मेसर्स एसबीपीएल और अन्य के खिलाफ वादा किए गए समय सीमा के भीतर वादा किए गए घरों को देने में विफल रहने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम, हरियाणा में अपनी परियोजनाओं के लिए **950** से अधिक घर खरीदारों से लगभग **520** करोड़ रुपये एकत्र किए। सिद्धार्थ चौहान ने मेसर्स एसबीपीएल के माध्यम से घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को अपने समूह की कंपनियों में असुरक्षित ऋण/अग्रिम के रूप में डायवर्ट किया, ताकि वादा किए गए घरों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करने के बजाय अन्य तरीकों से निवेश किया जा सके।

आगे की जांच जारी है।